

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

--: आदेश ::--

सं० सं०-17/विविध- 01-54/2026

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० रुतिका कुमारी, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर-BHS), शिशु रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक- 01.12.2015 के आलोक में दिनांक-06.03.2026 के प्रभाव से प्रथम संतान हेतु मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक :-17/विविध- 01-54/2026-448(17) पटना, दिनांक :-16/04/2026


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डॉ० रुतिका कुमारी का अवकाश आदेयता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० रुतिका कुमारी, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर-BHS), शिशु रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।